

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रभारी प्रमुख सचिव,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संभागीय वरिष्ठ/वित्त/
सहायक लेखाधिकारी (खाद्य) उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर, 2017

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत खरीफ खान्दों के क्रय मूल्य के भुगतान हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 25 सितम्बर, 2017 से प्रारम्भ खरीफ क्रय वर्ष 2017-18 में धान खरीद व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-3/2017/802/29-4-2017-5(2)/2017, दिनांक 31-08-2017 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। खरीदे गये धान के मूल्य के भुगतान की प्रक्रिया से सम्बन्धित वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन सम्बन्धी शासनादेश अलग से जारी करने की व्यवस्था उक्त शासनादेश के प्रस्तर-20 में की गयी है। श्री राज्यपाल महोदय धान खरीद के मूल्य का भुगतान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अधिकारों के प्रतिनिधायन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान क्रय के लिए खोले गये क्रय केन्द्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक की सी०बी०एस० शाखा से सम्बद्ध करके उक्त बैंक में बचत खाता (फीडर एकाउण्ट) खोलने हेतु वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/सहायक संभागीय लेखाधिकारी को अधिकृत किया जाता है। कृषकों को उनकी उपज के विक्रय मूल्य का तुरन्त भुगतान केन्द्र स्तर से कृषक का खाता बैंक की सी०बी०एस० शाखा में होने पर आर०टी०जी०एस० द्वारा तथा यदि सी०बी०एस० शाखा में खाता नहीं है तो 'पेइज एकाउण्ट ओनली' चेक द्वारा भुगतान किये जाने हेतु क्रय केन्द्रों पर तैनात केन्द्र प्रभारी को प्राधिकृत किया जाता है। चेक के माध्यम से भुगतान की स्थिति में क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा बैंक से सत्यापन किया जायेगा कि कृषक का खाता जिस बैंक में है, उसमें सी०बी०एस० की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
2. वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारियों/सहायक संभागीय लेखाधिकारियों को अनुदान संख्या-21 के "लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति" से निर्धारित सीमा तक अग्रिम आहरित करने तथा बैंकों में खोले गये बचत खातों में जमा करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अधिकृत किया जाता है कि वे बैंकों में बचत खाते खोलने हेतु उतना ही न्यूनतम अग्रिम धन आहरित करेंगे, जितना सात दिन की धान खरीद के लिए आवश्यक हो और मुख्यालय द्वारा आवंटित धनराशि से अधिक न हो। वे इस प्रकार आहरित अग्रिम के साथ-साथ बैंकों में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि की खरीद योजना की समाप्ति के तुरन्त बाद अग्रिम समायोजन कर लेंगे।
3. यदि इस बचत खाते में किसी समय अधिक धन की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/सहायक संभागीय लेखाधिकारी स्वतः अथवा केन्द्र प्रभारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी के निवेदन/औचित्य को देखते हुए बचत खाते में विगत 07 दिन के क्रय के

समतुल्य से अनाधिक अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेंगे, परन्तु केन्द्र प्रभारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी पिछली खरीददारी के सभी लेखे एवं पेड वाउचर के साथ अतिरिक्त माँग का औचित्य भी प्रस्तुत करेंगे।

4. वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारी यदि अपने क्षेत्र के लिए मुख्यालय से आवंटित धनराशि को आवश्यकता से कम समझते हैं और खाद्यान्न के क्रय मूल्य के भुगतान की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने पर भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता अनुभव करते हैं तो ऐसी दशा में अग्रिम की अतिरिक्त धनराशि की माँग वित्त नियंत्रक से करेंगे, जिसके आवंटन की वह व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी समय यह अनुभव किया जाता है कि इन बचत खातों में उपलब्ध धनराशि आवश्यकता से अधिक है अथवा बचत खातों को चालू रखने की आवश्यकता नहीं है तो इन बचत खातों की अवशेष धनराशि कम करने अथवा इन्हें बन्द कर सम्पूर्ण धनराशि को "लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति" में जमा करने हेतु वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारियों/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। इस खाते में रखे गये धन के रख-रखाव तथा इसे नियमानुसार व्यय करने का पूर्ण दायित्व केन्द्र प्रभारी का होगा तथा पर्यवेक्षकीय दायित्व वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारी तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी का होगा।

5. केन्द्र प्रभारी द्वारा अपनी अधिकार सीमा के अन्तर्गत इन बचत खातों में रखे गये धन का उपयोग निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार खाद्यान्न मूल्य के भुगतान हेतु निर्धारित की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

6. प्रत्येक क्रय केन्द्र के लिये "स्टेट पैडी परचेज एकाउन्ट 2017-18" के नाम से बैंकों में खोले गये बचत खातों को केन्द्र प्रभारी को एकल रूप से संचालित करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अधिकृत किया जाता है कि वे एक दिन में किसी एक कृषक को आर0टी0जी0एस0 (यदि कृषक का खाता बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में है)/'पेइस एकाउन्ट ओनली' चेक (यदि कृषक का खाता बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में नहीं है) द्वारा केवल अंकन रुपये 5,00,000.00 (रु0 पाँच लाख मात्र) की सीमा तक ही भुगतान कर सकेंगे। उक्त सीमा से अधिक क्रय किये गये खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान कार्यालय से किया जायेगा।

7. क्रय केन्द्रों से भुगतान किये गये बाउचरों की उत्तर सम्परीक्षा लेखा अनुभाग के क्षेत्रीय भुगतान कार्यालय द्वारा 48 घंटे के भीतर कर ली जायेगी। खरीफ खाद्यान्न के क्रय के दौरान सम्भागीय कार्यालय के लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी समय-समय पर अधीनस्थ कार्यालयों/ केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न मर्दों में शासकीय नियमों/आदेशों के अनुसार भुगतान हो रहा है और निर्धारित प्रारूप में लेखा-जोखा अद्यावधिक रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी सप्ताह में एक बार एवं सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी माह में एक बार समस्त क्रय केन्द्रों का निरीक्षण अवश्य करेंगे और यह भी सुनिश्चित करते रहेंगे कि खरीद की मात्रा का स्टॉक तथा उसकी क्वालिटी सही है, उसके रख-रखाव का समुचित प्रबन्ध है और स्टॉक सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को त्वरित "डिलीवर" किया जा रहा है। केन्द्र प्रभारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम से डिलीवरी के उपरान्त तत्काल एकनॉलेजमेण्ट प्राप्त किया जायेगा एवं तत्काल बिलिंग सुनिश्चित करायी जायेगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा उत्तरदायित्व के साथ निरन्तर अनुश्रवण इस प्रकार किया जायेगा कि सम्भागीय लेखा कार्यालयों को बिलों के प्रेषण में केन्द्र प्रभारियों द्वारा कोई विलम्ब न होने पाये।

8. केन्द्र प्रभारी द्वारा अंकन रु0 5,00,000.00 (रु0 पाँच लाख मात्र) की "फाइडेलिटी गारण्टी" आहरण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करनी होगी। उक्त "फाइडेलिटी गारण्टी" जमा कराने का दायित्व जिला खाद्य विपणन अधिकारी का होगा।

9. हैण्डलिंग ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारियों द्वारा किया जायेगा किन्तु ऐसा करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि हैण्डलिंग ठेकेदारों ने नियमानुसार एग््रीमेंट फार्म भर दिया है और जमानत की धनराशि उनसे जमा करा ली गयी है।
10. रुपये 5,00,000.00 (रु० पाँच लाख मात्र) से अधिक खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान कृषकों को वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारियों/ सहायक सम्भागीय लेखाधिकारियों द्वारा 'पेइस एकाउण्ट ओनली' चेक (यदि खाता सी०बी०एस० शाखा में नहीं है)/आर०टी०जी०एस० (यदि सी०बी०एस० शाखा में है) (फीडर एकाउण्ट से) के माध्यम से किया जायेगा। परिवहन ठेकेदारों को उनके कार्य का पूरा भुगतान प्रचलित प्रणाली के अनुसार 'पेइस एकाउण्ट ओनली' चेक द्वारा किया जायेगा।
11. प्रस्तर-5 व 6 में उल्लिखित व्यवस्था/प्रदत्त अधिकार सशर्त हैं। अतएव उक्त शर्त/प्रतिबन्ध का अनुपालन करने के उपरान्त ही इस अधिकार का उपयोग किया जायेगा। यदि इस अधिकार/व्यवस्था के दुरुपयोग की शिकायत पायी जाती है तो ऐसे अधिकारी/केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
12. खरीफ क्रय योजना में भारतीय खाद्य निगम से सी०एम०आर० के मूल्य की धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से भुगतान प्राप्त किये जाने के लिए सम्भागीय लेखा कार्यालय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक की सी०बी०एस० शाखा में एक बचत खाता खोला जायेगा। उक्त खाते में जमा धनराशि को लेखाशीर्षक "4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति" में तत्काल जमा कर दिया जायेगा।
13. शासनादेश संख्या-3/2017/802/29-4-2017-5(2)/2017, दिनांक 31-08-2017 के प्रस्तर-20 में धान खरीद योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था में खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर धान खरीद वर्ष 2017-18 में धान क्रय की व्यवस्था हेतु योजना का प्रचार-प्रसार, क्रय कार्य हेतु, कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण, टेलीफोन/मोबाइल, ई-उपार्जन हेतु लैपटॉप, टैबलेट क्रय, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमीमापक यंत्र, छलना, विनोडिंग फैन, पावर ड्रायर्स आदि, नेट कनेक्टिविटी, स्टेशनरी, निरीक्षण हेतु किराये पर वाहन, पी०ओ०एल० (Petroleum oil & Lubricant), अस्थायी मानव संसाधन, हैण्डलिंग व परिवहन व्यय, बोरा क्रय, वर्षा से बचाव हेतु त्रिपाल व क्रेटस आदि आवश्यक व्यवस्था, बोरों की सिलाई हेतु मशीन व सोलर पैनल तथा खाद्यान्न के विश्लेषण हेतु विश्लेषण किट आदि, ई-उपार्जन साफ्टवेयर हेतु एन०आई०सी० को मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु, धान क्रय की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु काल सेंटर, खाद्यायुक्त कार्यालय/एन०आई०सी० हेतु पी०एम०यू० (Project Monitoring Unit) आदि मदों पर व्यय अनुमन्य होगा। धान के मूल्य का भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर कार्यवाही हेतु विस्तृत आदेश, नीति विषयक मामले, जिसमें शासन के आदेश की आवश्यकता हो, को छोड़कर आयुक्त, खाद्य विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
14. उपरोक्तानुसार भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-21 के आय-व्ययक के "लेखाशीर्षक-4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।
2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-एफ०ए०-1-308/दस-2017, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रभारी प्रमुख सचिव।

संख्या-05/2017/867(1)/29-4-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षक), उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
8. खाद्य तथा रसद अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
9. आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, खाद्यायुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उ०प्र० (द्वारा खाद्यायुक्त)।
13. समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ०प्र० (द्वारा खाद्यायुक्त)।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)

संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2017/867(2)/29-4-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद के सापेक्ष कृषकों को भुगतान में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से अन्य क्रय एजेन्सियों यथा पी०सी०एफ०, पी०सी०यू०, यू०पी० स्टेट एग्री, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, कर्मचारी कल्याण निगम, सहकारी समितियाँ, नैफेड, एन०सी०सी०एफ० तथा अन्य सहकारी समितियों द्वारा भी भुगतान की धनराशि हेतु उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुरूप क्रय केन्द्र प्रभारी को अधिकृत किये जाने हेतु उपर्युक्तानुसार विभागाध्यक्ष स्तर से आदेश जारी किये जायेंगे:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निबंधक, सहकारी समितियाँ, उ०प्र०, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०यू०, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्री, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
9. अधिशासी निदेशक, उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ।
10. शाखा प्रबन्धक, नैफेड, अलीगंज, लखनऊ।
11. शाखा प्रबन्धक, एन०सी०सी०एफ०, महानगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)

संयुक्त सचिव।